हुकम

10/02/25

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

राजस्व आवेदन संख्या 94 / 2024 भगवान गोरधनराम बनाम सुखाराम

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के वंशज है, जिनकी संयुक्त पैतृक खातेदारी के स्वामित्व एवं कब्जा सुदा भूमि मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 59 रकबा 160.04 बीघा, खसरा संख्या 58 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 160.10 बीघा भूमि आई हुई है, सड़क निकलने के बाद शेष खसरा संख्या 59 रकबा 25.5518 हैक्टेयर व खसरा संख्या 58 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि शेष रही है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पिता विरधाराम का 1/3 हिस्सा पारिवारिक बंटवाड़ा में प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 01 व 02 व उनके वारिशान जबरन प्रार्थीगण को उक्त खेतों से बेदखल करना चाहता है तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा उनके वारिशान, प्रार्थीगण को उसके हक के हिस्से से बेदखल करने में कामयाब होते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 59 रकबा 25.5518 हैक्टेयर व खसरा संख्या 58 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया [illegible] का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के [illegible] गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं [illegible] दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की खातेदारी की भूमि मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 59 रकबा 25.5518 हैक्टेयर व खसरा संख्या 58 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि आई हुई मौके पर विवाद को लेकर उभय पक्षों में विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.07 10:00:24 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व आवेदन संख्या 94/2024 अनवान गोरधनराम बनाम सुखाराम
	किया जाता है तो वादों की संख्या में वढोतरी होगी। लिहाजा प्रकरण के निर्णय तक प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जाती है कि वो मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 59 रकबा 25.5518 हैक्टेयर व खसरा संख्या 58 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के 1/3 हिस्से तक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.03.07 10:00:24 IST
Reason: SelfAttested